षक.

निदेशक मत्स्य, उ०प्र० लखनऊ।

नेवा में

- समस्त उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म0पा0वि0अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

संख्या- / नियो०शा० / २०२०-21

दिनांकः ।⁸ जनवरी, 2021

विषयः प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत Entrepreneur Models की परियोजनायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या—5133 / नि0शा0 / 2020—21 दिनांकः 16.12.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत Entrepreneur Models की गाइडलाइन्स परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित की गयी थीं परन्तु अब तक प्रस्ताव अप्राप्त हैं। आप अवगत हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में व्यक्तिगत लाभार्थी को एक निश्चित सीमा तक ही परियोजनायें उपलब्ध हो सकती हैं। यदि लाभार्थी विभिन्न परियोजनाओं को प्राप्त करना चाहे तो अनुमन्य नहीं है। परन्तु यदि Entrepreneur Models के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी आवेदन करता है तो उसे विभिन्न परियोजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यद्यपि विस्तृत गाइडलाइन्स आपको प्रेषित की गयी हैं जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:—

- Eligible Beneficiaries
 - a) Individual Entrepreneurs and private firms
 - b) Fisheries, Fish Farmers, Fish Workers and Fish Vendors
 - c) Self Help Groups (SHGs)/Fisheries Cooperative/Joints Liability Groups(JLGs) /Fish Farmers Producer Organizations/Companies (FFPOs/Cs)
- Financial Pattern
 - a) Centrally finance assitance up to 25% of total project cost for General Category with a sealing of Rs. 1.25 crore per Project and in the case of SC/ST/Women upto 30% with a sealing of Rs 1.50 Crore per Project.
 - b) Beneficiary countribution minumum 10% of the total project cost.
 - c) Bank Loan up to 65% of the total project cost in case of General category and upto 60% of the total project cost in case of SC/ST/Women.
 - d) Beneficiary may contribute higher margin money in lieu of loan which in any case shall not exceed 40% of the total project cost.
- Activities of Entrepreneurship Models
 - A) The individual sub-components/activities of PMMSY may be integrated and packaged and may be implemented as entrepreneur/business models for encouragement of entrepreneurship and innovations, and development of fisheries entrepreneurs including 'aquapreneurs'.
 - B) In general, the integrations and packing of activities into entrepreneurship models is left to the beneficiary. For illustrative purposes, some of the suggested entrepreneurship models are indicated below.
 - C) Development of Aquaculture : The related activities like construction of ponds along with necessary electricity and water supply facilities, development of hatcheries for seed

production, feed mills/plant to produdce fish feed from the local ingredients, quality testing labs, fish storage/preservation facilities, preprocessing facilities, fish transport facilities etc.

- D) Integrated fish farm: Induction of technology such as establishment of Re-circulatory aquaculture System (RAS) of appropriate size and numbers, Bio-floc, aquaponics, ponds of appropriate size and area, water supply and electrification, hatcheries to produced fish seed required for RAS, feed Plant/mill, fish preservation facilities (ice plant/cold storage), testing lab, fish transport facilities (insulated/refrigerated vahicles) and farm based kiosk etc.
 - E) Cage cultivation with necessary backword and forward linkages.
 - F) Ornamental fisheries cultivation, branding and marketing.
 - G) Recreational fisheries with necessary backword and forward linkages.

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की गाइडलाइन्स में इंगित अन्य परियोजनाओं को समेकित कर न्त प्रकार से माडल्स के प्रोजेक्ट प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यक्षेत्र में उक्त श्रेणी के लाभार्थी जिनके पास भूमि की पलब्धता है तथा समेकित रूप से मत्स्य पालन गतिविधियां, उद्यमिता के आधार पर संचालित करने के इच्छुक हैं, उनको प्रेरित किया जाय। इसका जनपद में विभिन्न प्रचार माध्यमों व सोशल मीडिया के माध्यम से विस्तृत प्रचार प्रसार कराते हुए Entrepreneur Models की परियोजनायें 15 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस० के० सिंह) निदेशक मत्स्य, उ०प्र० लखनऊ।

संख्या- १^{०१} /नि०शा० / 2020—21 दिनांकः उक्त । प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1. मुख्य महा प्रबन्धक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि० लखनऊ को Entrepreneur Models की परियोजनायें उपलब्ध कराने हेत्।
- 2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि० लखनऊ को Entrepreneur Models की परियोजनायें उपलब्ध कराने हेत्।
- ्3: वेब आफीसर व विभागीय टॉल फी नम्बर प्रभारी, मुख्यालय को वेबसाइट व अन्य माध्यम से जनसामान्य को अवगत कराये जाने हेतु ।

(एस० के० सिंह) निदेशक मत्स्य, उ०प्र० लखनऊ।